उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-1/2015/1450/92-2-15-136(जांच)/2005

लखनऊ:: दिनांक:: 11 सितम्बर, 201**5**

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता पद के ग्रेड वेतन से संबंधित शासनादेश संख्या-1785/62-3-2011-59एम/2010, दिनांक 20 मई, 2011 की अपने स्तर पर त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर अपने स्तर से जारी पत्रांक-7292/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/वे0निर्धा0/ व्य0प0/2011-12 दिनांक 22 अक्टूबर,2011 द्वारा समकक्ष वैयक्तिक ग्रेड वेतन रू0 7600 पाये श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, सहायक अभियंता पदधारक को अधीक्षण अभियंता का ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने, अपने पद एवं दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन न किये जाने में की गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2822/92-2014-43डब्ल्यू/2014, दिनांक 30-06-2014 द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के विरूद्व आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 28-08-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाया गया, किन्तु शासन के पत्र दिनांक 21-03-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी से इस अंश कि "उनके द्वारा शासनादेश दिनांक 20-05-2011 में प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत आदेश दिनांक 22-10-2011 द्वारा शासनादेश दिनांक 20-05-11 द्वारा न्यूनतम ग्रेड वेतन पाये कार्मिक को उच्च वेतन अनुमन्य कराया गया है", के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी श्री गंगवार का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 05-06-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, शासन स्तर से अपचारी अधिकारी से मांगे गये अभ्यावेदन व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा जो त्रुटिपूर्ण आदेश निर्गत किया गया था, वह शासनादेश में अस्पष्टता के कारण था। इसी आधार पर जॉच अधिकारी द्वारा भी अपचारी अधिकारी द्वारा भी अपचारी अधिकारी पर आरोप सिद्व नही पाया गया है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2822/92-2014-43डब्ल्यू/2014, दिनांक 30-06-2014 द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल की ओर से,

(डॉ0 प्रभात कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्रांक-1/2015/1450(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परिमण्डल-लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।